आदर के बारे में चिंतन

गोपाल कृष्ण गांधी

आदर या तो होता है या नहीं होता। आदर का कोई पैमाना नहीं होता जैसे आदर विभूषण, आदर भूषण, आदर श्री। आदर तो आदर होता है।

आदर तर्क से नहीं आता, यह तो अंतःप्रवृत्ति से आता है "यह ऐसा व्यक्ति है जिसका मैं आदर करता हूं।"

जन-सम्मान प्राप्त व्यक्ति तीन प्रकार के होते हैं। एक वे जिनका आदर उनके ओहदे के कारण होता है जैसे राजा, न्यायाधीश, पोप, बिशप, मठाधिपति, सेनापति आदि। दूसरे वे जिनको किसी परिवार से जुड़े होने के कारण आदर प्राप्त होता है। तीसरे वे जिनको उनके जीवन व कार्यों के कारण आदर प्राप्त होता है, न कि किसी जगह का होने के कारण या किसी ओहदे के कारण। और इस श्रेणी में आने वाले लोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं।

आज उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के बारे में आदर कुछ दिक्कत में है।

उच्च पदों पर आसीन लोगों का मूल्यांकन हर कोई करता है। चाय बेचने वालों से लेकर सब्जी बेचने वालों, ऑटोरिक्शा चलाने वालों व ट्रेन मेट्रो या बस में सफर करने वालों तक। जनता मूर्ख नहीं है।

उच्च पदों पर आसीन लोगों में से कई उन पदों पर चुनकर आते हैं। चुनाव की प्रक्रिया को आजकल मतदाता बखूबी एक राजनीतिक कलाबाजी के रूप में करते हैं बजाय एक नैतिक मूल्यांकन के। कई इस प्रक्रिया में साधनसंपन्न होने के कारण उतरते हैं न कि इस कारण कि जनता उनका आदर करती है। उन्हें वफादारी हासिल हो सकती है, उनकी सराहना भी हो सकती है, उनसे लोग भयभीत भी हो सकते हैं। और इन सबके कारण वे आदर पाने की अपेक्षा करते हैं, और अपने अनुयायियों को इसे प्राप्त करवाने में लगा देते हैं। पर भोले-भाले लोग जिस तरह से खराब व अच्छे आलू में आसानी से भेद कर लेते हैं वैसे ही वे किसी व्यक्ति में अच्छाई को बखूबी पहचान लेते हैं।

सी. राजगोपालाचारी ने कभी स्वतंत्र भारत में चुनाव नहीं लड़ा, परंतु उनके प्रति जनता में आदर बहुत गहरा था, चाहे वे किसी पद-पर रहे या न रहे (जो कि अधिकांश समय था)। यही बात उनके समकालीन रहे 'पेरियार' ई. वी. रामास्वामी के बारे में भी सत्य है। उनका 'पद' और कुछ नहीं, जनता के मन में उनके प्रति सम्मान था। हमारे स्वतंत्रता-संग्राम के महान नेता जैसे नेहरू, पटेल, राजेन्द्र प्रसाद व आजाद और महान व्यक्तित्व जैसे सुभाषचन्द्र बोस, बाबा साहेब अंबेडकर, इनके अतिरिक्त स्वतंत्रता-पश्चात भारत के कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, जैसे गोपीनाथ बारडोलोई, नाबा कृष्ण चौधरी, टी. प्रकाशम, के. कामराज, ई. एम. एस. नंबूदरीपाद, गोविंद वल्लभ पंत, सी. एन. अंतादुराई व ज्योति बसु को राजनीतिक मतभेदों के उपरांत भी पूरे देश में सम्मान प्राप्त था। यह बेमाने है कि जयप्रकाश नारायण किसी पद पर नहीं रहे। उन्हें जन-मानस में जो सम्मान प्राप्त था, वह उनकी 'लोकनायक' की उपाधि से स्पष्ट है।

उच्च पदों पर आसीन वे लोग जो चुनाव से उस पद पर नहीं आते पर उनका उस पद के लिए चयन होता है या पदोन्नति से उस पद पर आते हैं, उनको भी जनता का आदर समान रूप से प्राप्त हो, यह आवश्यक नहीं। उदाहरण के तौर पर न्यायपालिका के पदों पर आसीन न्यायाधीशों के चयन में जनता की सीधी भागीदारी नहीं होती, पर जन-मानस में न्यायपालिका के प्रति आदर है। विधायिका या न्यायपालिका के प्रति लोगों में आदर कम हो जाता है, जब इनमें शामिल लोग इन संस्थाओं के प्रति आदर नहीं दिखाते। आदर से आदर पनपता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे विधायकों या सांसदों द्वारा सदन की कार्यवाही में बाधा डालने से जनता का उनके प्रति विश्वास डगमगा जाता है, वैसे ही वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार करने से लोगों के मन में इस संस्था के प्रति सम्मान कम हो जाता है। यदि कोई न्यायाधीश अपनी कार में लाल बत्ती को लांघ जाता है तो जनता में उस विशिष्ट व्यक्ति के बारे में आदर कम हो जाता है।

सृष्टि में कोई चीज दोषरहित नहीं है। सिवाय इसके कि क्षमा करने योग्य व्यक्ति द्वारा क्षमा करना (क्षमा, हमें याद रखना चाहिए, माफी से अलग है)। पर न्यायपालिका को क्षमा बांटने का अधिकार नहीं है। इसका कर्तव्य है—दोष तय करना व दोषी को सजा देना।

सृष्टि में कोई त्रुटिरहित नहीं है। न्यायपालिका से भी न्याय देते समय गलती हो सकती है।

सृष्टि में कोई चीज स्थिर नहीं है या सब चीजें एक जैसी नहीं हैं। अतः न्यायपालिका व संवैधानिक संस्थाएं या आयोग भी भिन्नता लिए होते हैं, जहां त्रुटि होना स्वाभाविक है व एकरूपता का अभाव भी स्वाभाविक है।

अतः इनकी कार्यप्रणाली की दोषरहितता पर शंका होना स्वाभाविक है। परंतु ये संस्थाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनके प्रति आदर में संशयात्मक स्थिति होना उचित नहीं है। मेरी दृष्टि में यह बात अधिक अच्छी तरह से सुनिश्चित की जा सकती है, यदि न्यायालयों की चिंता उनकी प्रतिष्ठा की

बजाय उनके प्रति लोगों में आदर प्राप्त करने की हो जाए।

यदि न्यायपालिका या न्यायिक आयोगों के प्रति लोगों में आदर कम हो जाए तो क्या होगा? यह बात सोचने में भी भयावह लगती है। मुझे विश्वास है कि न्यायपालिका व न्यायिक आयोगों के प्रति जन-आदर की जिम्मेदारी जिन लोगों के कंधों पर है, वे ऐसा होने नहीं देंगे।

जहां ओहदे की बजह से आदर एक मिश्रित स्थिति है वहीं वरीयता या अधिक उम्र वालों के प्रति आदर एक सामान्य बात बन गई है। मैं सोचता हूं विशेष अवसरों पर या घर से बाहर जाते हुए या वापस आने पर माता-पिता के नहीं तो दादा-दादी के पांव छूने की प्रथा अभी भी गायब नहीं हुई है, केवल इसमें परिवर्तन यह आया है कि अब बिना संकोच राजनेताओं या धर्मगुरुओं के पांव छूए जाते हैं।

यह नई पीढ़ी द्वारा पुराने सांस्कृतिक रीति-रिवाजों को त्यागने या आत्मकेंद्रित होने से कहीं ज्यादा है। यह "मुझे परवाह नहीं" जैसे आत्मविश्वास की भावना को दर्शाता है। साधारण दुनिया में प्रतिष्ठा में ऊंच-नीच होती रहती है, दर्जे का महत्व होता है व उपलब्धियां माने रखती हैं। पर इस सबके बीच हमारे जीवन का वह सत्य भी है जहां व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं व आत्मसुरक्षा को दूर रख यह सोचता व अनुभव करता है कि "वहां वह आदमी है जिसका हम आदर करते हैं क्योंकि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं।"

आदर कई बार कौशल की सराहना के फलस्वरूप भी होता है। एक उच्चकोटि के संगीतज्ञ, नृत्य कलाकार, अदाकार, या खिलाड़ी के प्रति उसके महान कौशल के कारण आदर होता है। पर कौशल-आधारित आदर में एक दिक्कत है, वह यह कि कई बार इसमें कौशल की सराहना में कमी आ सकती है। और इसका कारण उच्चकोटि के कौशल के साथ उसकी कीमत की पर्ची लगी होती है। चाहे क्रिकेट में हो या संगीत में या और किसी कला में, कौशल के स्तर के साथ पैसे का जुड़ाव होने से उच्चकोटि का कौशल-प्राप्त व्यक्ति के आदर में कमी आ जाती है।

विलोम के नियम को स्वीकारते हुए मैं अनादर के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। यह कितना बढ़ रहा है इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लोक-अभिव्यक्ति का स्तर हद से ज्यादा नीचे गिरा है। मुख्यमंत्री करुणानिधि ने हमें याद दिलाया था कि राजा जी व पेरियार एक-दूसरे का कितना आदर करते थे और वे खुद भी कामराज का उतना ही आदर करते थे, जबकि उनमें राजनैतिक मतभेद बहुत गहरे थे।

ऐसे आदर से हृदय में विश्वास होता है। ऐसा विश्वास से कहता है यह व्यक्ति चाहे वह राज्यपाल हो या दुकानदार, न्यायाधीश हो या घुड़सवार, सांसद हो या बढ़ई, अणु-वैज्ञानिक हो या ऑटो चालक विश्वास के काबिल है।

विश्वास व विश्वसनीयता खतरे में हैं। हमें इनकी कद्र करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो हम आदर पाने व आदर करने की क्षमता खो देंगे।